सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, बीकानेर
पीठासीन अधिकारी–रामनिवास जाट, आर.ए.एस.

अपील संख्या 100/13 निर्णय दिनांकः– 13.09.2019

1. कमलादेवी पत्नी भींवाराम जाति जाट निवासी चक 14 पीबी 'बी' तहसील खाजुवाला जिला बीकानेर।

–अपीलांट्

–बनाम–

1. रहमान पुत्र गुलाम फरीद जाति मुसलमान निवासी चक 14 पीबी तहसील खाजुवाला जिला बीकानेर।
2. स्टेट ऑफ राजस्थान, जरिये तहसीलदार, खाजुवाला।

रेस्पोडेन्ट्स

अपील विरूद्व आदेश दिनांक 06–04–1988
सहायक आयुक्त उपनिवेशन, छत्तरगढ़ मु. बीकानेर

उपस्थितिः–

1. श्री विजय भादाणी, अभिभाषक अपीलांट
2. श्री कृष्ण बेनीवाल, अभिभाषक रेस्पोडेन्ट संख्या 1
3. श्री नन्दराम कासनियॉ, राजकीय अभिभाषक

–निर्णय–

1. अपीलांट ने उक्त अपील सहायक आयुक्त उपनिवेशन, छत्तरगढ़ मु. बीकानेर के आदेश दिनांक 06–04–1988 जिसके द्वारा अपीलांट के समीपवर्ती मुरब्बे में स्थिति स्मालपेच की भूमि का आवंटन रेस्पोडेन्ट संख्या 1 को किया गया, के विरूद्व इस न्यायालय में राजस्थान उपनिवेशन (इगानप योजना में सरकारी कृषि भूमि आवंटन व विक्रय नियम) 1975 के नियम 23 के अन्तर्गत प्रस्तुत की है।

2. विद्वान अभिभाषक उभय पक्ष की बहस सुनी गई।

3. विद्वान अभिभाषक अपीलांट् ने बहस करते हुए बताया कि अपीलांट को चक 14 पीबी 'बी' के मुरब्बा नम्बर 69/7 की भूमि पुख्ता आवंटित है तथा इसी मुरब्बें के चिपते मुरब्बा नम्बर 69/6 के किला नम्बर 22 ता 25 की 3 बीघा 12 बिस्वा कमाण्ड भूमि आराजीराज दर्ज थी। इस मुरब्बें की शेष किला नम्बर 1 ता 21 लूणाराम पुत्र मालाराम को पुख्ता आवंटित थी। ऐसी स्थिति में उक्त भूमि के आवंटन की प्रथम वरियता लूणाराम की बनती थी। उसके पश्चात् उक्त भूमि के आवंटन की प्रथम वरियता अपीलांट की बनती थी। रेस्पोडेन्ट की ना तो वादगत् मुरब्बें में कोई भूमि निहित है व ना ही उनकी कोई वरियता बनती है। अदालत मातहत द्वारा वादगत् भूमि के आवंटन से पूर्व अपीलांट को किसी प्रकार का कोई नोटिस सूचना अथवा सुनवाई का कोई अवसर प्रदान नहीं किया गया है। अदालत मातहत द्वारा आवंटन नियमों की अवहेलना करते हुए अपीलांट के हकों पर कुठाराधात किया गया है। स्मालपेच आवंटन नियमों के जिसकी वरियता प्रथम बनती है उसे ही नियमानुसार आवंटन किया जाना चाहिए। रेस्पोडेन्ट की वादगत् भूमि में कोई वरियता नहीं बनती है। अदालत मातहत द्वारा इन तमाम तथ्यों को दरकिनार करते हुए मात्र रेस्पोडेन्ट संख्या 1 को बेजा फायदा पहुॅचाने की नियत मात्र से आवंटन किया गया है। ऐसा आवंटन स्मालपेच आवंटन नियमों के विपरीत होने से प्रारम्भ से शून्य आवंटन की परिभाषा में आता है।

उन्होंने आगे बताया कि अदालत मातहत द्वारा अपीलांट व अन्य काश्तकारों को नोटिस दिये बिना आदेश जैर अपील एकतरफा व मनमाने ढंग से बिना कानूनी प्रक्रिया को अपनाये पारित किया है। जो आवंटन नियमों के प्रावधानो के विपरीत व प्राकृतिक न्याय के सिद्वान्तों के खिलाफ होने से काबिले निरस्त है। अतः अपीलांट की अपील स्वीकार फरमाई जाकर आदेश जैर अपील निरस्त फरमाया जावे।

उन्होंने मियांद पर बताया कि अधिनस्थ न्यायालय द्वारा बिना सूचना के रकबा किसी अन्य को आवंटित कर दिया गया। उक्त आदेश एकतरफा आदेश की श्रेणी में आता है। जिसमें मिंयाद अधिनियम बाघक नहीं है। अपील के साथ धारा 5 मियांद अधिनियम का प्रार्थना पत्र मय शपथ पत्र पेश है। अतः अपील अन्दर मियांद घोषित की जावे।

4. विद्वान अभिभाषक रेस्पोडेन्ट संख्या 1 ने कथन किया कि रेस्पोडेन्ट संख्या 1 की भूमि चक 14 पीबी 'बी' के मुरब्बा नम्बर 69/6 में स्थित होने के कारण रेस्पोडेन्ट संख्या 1 द्वारा स्मालपेच में आवंटन हेतु प्रार्थना पत्र दिये जाने के फलस्वरूप सभी संबंधित पात्र काश्तकारों की वरियता बनाई गई। वादगत् भूमि के आवंटन हेतु अन्य कोई आवेदन पत्र जैरकार नहीं होने पर अदालत मातहत द्वारा राजस्थान उपनिवेशन आवंटन नियम 1975 के नियम 14 के तहत वादगत् भूमि का आवंटन बतौर स्मालपेच किया गया है। वादगत् भूमि के आवंटन की प्रथम वरियता की तहसीलदार द्वारा अनुशंसा की गई है व रकबा अन्य किसी प्रकार से विवादित नहीं होने व स्थगन आदेश नहीं होने की टिप्पणी भी अपनी रिपोर्ट में अंकित की गई। रेस्पोडेन्ट संख्या के धारण की भूमि वादगत् मुरब्बें में ही निहित है। ऐसी स्थिति में अदालत मातहत द्वारा रेस्पोडेन्ट की भूमि वादगत् भूमि पर रेस्पोडेन्ट की वरियता प्रथम मानते हुए व केवल मात्र उन्हीं का आवेदन होने के कारण वादगत् भूमि का आवंटन रेस्पोडेन्ट संख्या 1 को किया गया है व रेस्पोडेन्ट संख्या 1 द्वारा आवंटन पश्चात् आवंटन नियमों के तहत निर्धारित राशि जमा करवाई जा चुकी है तथा आवंटन आदेश भी जारी किया जा चुका है। आराजी जैर आवंटन के पश्चात् रेस्पोडेन्ट संख्या 1 के कब्जे काश्त में चली आ रही है। जहॉ तक वादग्रस्त भूमि के अपीलांट को आवंटन का प्रश्न है इस संबंध में उल्लेखनीय है कि अपीलांट द्वारा उसके धारण की भूमि पूर्व में ही विक्रय की जा चुकी है। ऐसी स्थिति में वादग्रस्त भूमि के आवंटन की वरियता अपीलांट की नहीं बनती है। अपीलांट का वादग्रस्त भूमि से कोई सरोकार नहीं है, केवल मात्र रेस्पोडेन्ट को तंग व परेशान करने की नियत मात्र से तमाम कार्यवाही की जा रही है।

उन्होंने आगे बताया कि अपीलांट द्वारा अपील मियांद बाहर प्रस्तुत की गई है। अपीलांट द्वारा प्रस्तुत मियांद प्रार्थना पत्र में मियांद को कण्डोन करने का कोई पर्याप्त कारण अंकित नहीं किया गया है। ऐसी स्थिति में अपीलांट की अपील मियांद के बिन्दु पर खारिज योग्य है। अतः अपीलांट अब किसी प्रकार का अनुतोष पाने का अधिकारी नहीं है। रेस्पोडेन्ट द्वारा आवंटन पश्चात् निर्धारित तमाम राशि खजानाराज में जमा करवाई जा चुकी है। ऐसी स्थिति में रेस्पोडेन्ट संख्या 1 को किया गया आवंटन विधि सम्मत है। अतः अपीलांट की अपील खारिज फरमाई जावे।

5. विद्वान अभिभाषक उभय पक्ष की बहस पर मनन किया गया एवं पत्रावली का विधि के परिप्रेक्ष्य में अध्ययन किया गया।

6. प्रकरण में रेस्पोडेन्ट रहमान पुत्र गुलामफरीद को दिनांक 06—04—1988 को चक 14 पीबी 'बी' के मुरब्बा नम्बर 69/6 में 3 बीघा 12 बिस्वा भूमि का स्मालपेच आवंटन किया गया था। अपीलांट द्वारा अपने अपील मीमो में स्वयं अंकित किया है कि उक्त तिथि को इस मुरब्बें की शेष भूमि लूणाराम को आवंटित थी। तत्पश्चात् पड़ौसी मुरब्बें के खातेदार के रूप में अपीलांट का हक होने का तर्क दे रहा है। परन्तु आवंटन के बाद 25 वर्ष तक अपीलांट ने इस पर दावा नहीं किया है। इससे स्पष्ट है कि अपीलांट सन् 2013 तक उक्त स्माल पेच भूमि के बारे में कोई रूचि नहीं रखता था तथा अन्य को आवंटित होने के 25 वर्ष बाद उसे अचानक उक्त आवंटन आदेश की अपील करने का विचार उसके दिमाग में आया। अपीलांट द्वारा विलम्ब के लिये बताया गया कारण संतोषजनक नहीं है तथा विवादित भूमि पर रेस्पोडेन्ट के अधिकार स्थापित हो चुके है।

7. अतः उक्त विवेचना के आधार पर अपीलांट् की अपील मियांद बाहर व सारहीन होने के कारण खारिज की जाती है तथा सहायक आयुक्त उपनिवेशन, छत्तरगढ़ मु. बीकानेर का अपीलाधीन आदेश दिनांक 06—04—1988 बहाल रखा जाता है।

8. निर्णय मेरे द्वारा लिखाया जाकर आज दिनांक 13.09.2019 को सरे इजलास सुनाया गया।

(रामनिवास जाट)
राजस्व अपील प्राधिकारी
बीकानेर